84/2016 - अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

A7/7

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : करतार सिंह पूनियॉ, आर.ए.एस.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील प्रकरण सं0 84/16

जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राजस्थान)

1. मंगतसिंह पुत्र श्री इन्दोबाई पुत्री गुदड़सिंह (मंगतसिंह पुत्र श्री तारासिंह) जाति रायसिख, निवासी 16 के एन डी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
2. पालो पुत्री इन्दोबाई पत्नी तारासिंह जाति रायसिख निवासी रोजड़ी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. कैलाश कौर पुत्री इन्दोबाई जाति रायसिख निवासी रोजड़ी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. इन्द्रसिंह पुत्र गुदड़सिंह जाति रायसिख निवासी 4 सी बड़ी तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
2. काकासिंह पुत्र गुदड़सिंह जाति रायसिख निवासी 4 सी बड़ी तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
3. लक्ष्मणसिंह पुत्र गुदड़सिंह जाति रायसिख निवासी 4 सी बड़ी तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
4. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, हिन्दूमलकोट

रेस्पो.

अपील विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार, हिन्दूमलकोट दिनांक 16–11–16

उपस्थित : श्री आनन्द व्यास, अधिवक्ता, अपीलाथीगण
श्री ओमप्रकाश बतरा, अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 2
राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 4 स्टेट की ओर से
रेस्पो0 सं0 1 व 3 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही.

दिनांक : 31.03.2017

आदेश

प्रस्तुत अपील के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि गुदड़सिंह जो अपीलार्थीगण के नाना व पिता थे, को भारत पाक विभाजन के बाद भारत सरकार के कस्टोडियन विभाग द्वारा चक 4 सी बड़ी तह0 व जिला श्री गंगानगर के खाता सं0 70/64 के मु0 नं0 32 के कि0 नं0 13,14 ता 25 व मु0 नं0 54 के कि0 नं0 1 ता 11 व 14 ता 15 कुल 6.086 है0 रकबा बतौर कलेमेन्ट अलॉट हुई थी। गुदड़सिंह की मृत्यू के बाद उक्त कृषि भूमि गुदड़सिंह के जायज वारिसान पत्नी सुहागो (अपीलार्थीगण की नानी व

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

रेस्पो0 की माता) ही बालिग थी इसलिए सैटलमेन्ट विभाग द्वारा यह भूमि राजस्व रेकार्ड में सुहागो के नाम से विरासतन दर्ज कर दी गई एवं तत्पश्चात् इसी नाम से सनद जारी हो गई। गुदड़सिंह की मृत्यू के बाद उक्त विवादित कृषि भूमि केवल मात्र सुहागो के नाम दर्ज होने पर इन्द्रोबाई द्वारा एक वाद सं0 34/85 न्यायालय सहायक जिलाधीश, श्री गंगानगर के समक्ष दायर कर अनुतोष चाहा गया कि उक्त विवादित कृषि भूमि उसके पिता गुदड़सिंह को आवंटित हुई थी, जो सुहागो के स्वअर्जित कार्य से प्राप्त कृषि भूमि नहीं है इसलिए इन्द्रोबाई जो अपीलार्थीगण की माता है, को सहखातेदार घोषित किया जावे। न्यायालय द्वारा दिनांक 21–4–86 को आदेश पारित कर सुहागो के अलावा इन्द्रोबाई, काकासिंह व लक्ष्मणसिंह को सहखातेदार घोषित किया गया, जिसकी पालना में उक्त आराजी अपीलार्थीगण की माता इन्द्रोबाई, सुहागो, इन्द्रसिंह, लक्ष्मणसिंह एवं काकासिंह के नाम नामान्तरण दर्ज की गई एवं इसी विभाजन 1/5 हिस्सा संयुक्त काश्त की जाती रही। सुहागो की मृत्यू के बाद इसी कम में नामान्तरण सं0 47 दिनांक 10.12.10 विरासतन दर्ज किया गया, जिससे व्यथित होकर रेस्पो0 द्वारा इस न्यायालय में अपील पेश की, जिसमें आपति उठाई गई कि इंद वसीयत दिनांक 24.4.99 को की गई थी, जिसके मुताबिक रेस्पो0 उक्त कृषि भूमि के वारिस व हिस्सेदार हैं जबकि अपीलार्थीगण का कथन रहा कि उक्त कृषि भूमि केवल विरासतन ही नहीं, बल्कि न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 21.4.86 की पालना में की गई है। इसके बाद इस न्यायालय द्वारा रेस्पो0 की अपील का निस्तारण दिनांक 18.6.15 को रिमाण्ड के रूप में किया गया एवं इस निर्देश के साथ पुनः सुनवाई हेतु पत्रावली प्रतिप्रेषित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरण रेस्पो0 के पक्ष में करने का आदेश विधिविरूद्ध पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश बिना विधिवत् सुनवाई किये पारित किया गया है। विवादित भूमि में सुहागो का 1/5 हिस्सा है। वसीयत समस्त कृषि भूमि की कराई गई है जबकि समस्त कृषि भूमि पर उसका कब्जा काश्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को जो नामान्तरण करना था, वह इन्द्रोबाई का शुद्व हिस्सा 1/5 व सुहागो की पुत्री होने के नाते पुनःउससे प्राप्त हिस्सा जोड़कर किया जाना था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य का ध्यान नहीं रखा गया है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की पालना नहीं की गई है। वसीयत वर्ष 1999 में लिखी गई है। रेस्पो0 द्वारा एक वाद ए.सी.एम. कोर्ट फास्ट ट्रेक में काकासिंह वगैरा बनाम मंगतसिंह आदि के रूप में पेश कर रखा था, जो दिनांक 2–11–16 को अदम हाजिरी में खारिज हो चुका है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–11–16 निरस्त फरमाया जावे।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

84
2016 -

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

3

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि गुदड़सिंह को भारत सरकार के कस्टोडियन विभाग द्वारा चक 4 सी बड़ी तह0 व जिला श्री गंगानगर के खाता सं0 70/64 के मु0 नं0 32 के कि0 नं0 13,14 ता 25 व मु0 नं0 54 के कि0 नं0 1 ता 11 व 14 ता 15 कुल 6.086 है0 रकवा वतौर कलेमेन्ट अलॉट हुई थी। गुदड़सिंह की मृत्यू के बाद उक्त कृषि भूमि गुदड़सिंह के जायज वारिसान पत्नी सुहागो (अपीलार्थीगण की नानी व रेस्पो0 की माता) के नाम सैटलमेन्ट विभाग द्वारा राजस्व रेकार्ड में विरासतन दर्ज कर दी गई एवं तत्पश्चात् इसी नाम से सनद जारी हो गई। गुदड़सिंह की मृत्यू के बाद उक्त विवादित कृषि भूमि केवल मात्र सुहागो के नाम दर्ज होने पर इन्द्रोबाई द्वारा एक वाद सं0 34/85 न्यायालय सहायक जिलाधीश, श्री गंगानगर के समक्ष दायर किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 21-4-86 को आदेश पारित कर सुहागो के अलावा इन्द्रोबाई, काकासिंह व लक्ष्मणसिंह को सहखातेदार घोषित किया गया, जिसकी पालना में उक्त आराजी अपीलार्थीगण की माता इन्द्रोबाई, सुहागो, इन्द्रसिंह, लक्ष्मणसिंह एवं काकासिंह के नाम नामान्तरण दर्ज की गई एवं इसी विभाजन 1/5 हिस्सा संयुक्त काश्त की जाती रही। सुहागो की मृत्यू के बाद इसी कम में नामान्तरण सं0 47 दिनांक 10.12.10 विरासतन दर्ज किया गया, जिससे व्यथित होकर रेस्पो0 द्वारा इसी न्यायालय में अपील पेश की गई। इस न्यायालय द्वारा रेस्पो0 की अपील का निस्तारण दिनांक 18.6.15 को किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरण रेस्पो0 के पक्ष में करने का आदेश विधिविरूद्ध पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश बिना विधिवत् सुनवाई किये पारित किया गया है। विवादित भूमि में सुहागो का 1/5 हिस्सा है। वसीयत समस्त कृषि भूमि की कराई गई है जबकि समस्त कृषि भूमि पर उसका कब्जा काश्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को जो नामान्तरण करना था, वह इन्द्रोबाई का शुद्व हिस्सा 1/5 व सुहागो की पुत्री होने के नाते पुनःउससे प्राप्त हिस्सा जोड़कर किया जाना था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य का ध्यान नहीं रखा गया है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की पालना नहीं की गई है। वसीयत वर्ष 1999 में लिखी गई है। रेस्पो0 द्वारा एक वाद ए.सी. एम. कोर्ट फास्ट ट्रेक में काकासिंह वगैरा बनाम मंगतसिंह आदि के रूप में पेश कर रखा था, जो दिनांक 2-11-16 को अदम हाजिरी में खारिज हो

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

84/2016

A 1/4

चुका है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–11–16 निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पंजीबद्व वसीयत के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की पालना की गई है। विधिवत् सुनवाई का नोटिस दिया गया है। सार्वजनिक आपति का सूचना पत्र प्रकाशित करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के रिमाण्ड आदेश की पालना में नियमानुसार कार्यवाही की जाकर अपीलकृत आदेश पारित किया गया है। वसीयत जिला पंजीयक द्वारा पंजीबद्व है। अपीलार्थीगण यदि पंजीबद्व वसीयत से व्यथित हैं तो उन्हें सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोई करनी चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलकृत आदेश विधिसम्मत है। अपीलांटस की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अवलोकन किया गया।

अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील के माध्यम से अपीलकृत आदेश दिनांक 16–11–16 जिसके द्वारा वसीयत जो जिला पंजीयक द्वारा पंजीबद्व है, के आधार पर नामान्तरण करने के आदेश दिये गये हैं, को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा गया है।

अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा अपील प्रकरण सं0 39/2011 इन्द्रसिंह बनाम काकासिंह बनाम लक्ष्मणसिंह वगैरा में दिनांक 18–6–15 को आदेश पारित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया था कि संबंधित सभी पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, बंद वसीयत दिनांक 24–4–99, ए0सी0एम0 कोर्ट का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21–4–86 को दृष्टिगत रखते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। रिमाण्ड आदेश में उभय पक्षकारों को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15–7–15 को उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया था।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 2–8–16 को प्रकरण दर्ज कर, सभी पक्षकारो को जरिये नोटिस तलब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इन्द्रसिंह, काकासिंह (रेस्पो0 सं0 1 व 2) दिनांक 12–8–16 को उपस्थित हुए हैं। रेस्पो0 3 लक्ष्मणसिंह दिनांक 29–8–16 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है। दिनांक 29–8–16 तक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सार्वजनिक आपति का सूचना पत्र दैनिक सीमा

अ.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

सन्देश अखबार में प्रार्थी के खर्चे पर करवाया गया। वसीयत के गवाहान अमर लाल, चन्दसिंह एवं लाभसिंह से वसीयत का सत्यापन करवाया गया है।

इस प्रकार, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिमाण्ड आदेश की पालना में विधिसम्मत् कार्यवाही की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। वसीयत जिला पंजीयक कार्यालय से पंजीबद्व है। किसी न्यायालय का स्थगन अथवा वसीयत के अवैध/निरस्त घोषित होने के संबंध में कोई सारवान दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। वसीयत का सत्यापन्न गवाहान से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा करवाया गया है। वसीयत आज भी प्रभावकारी है। रिमाण्ड आदेश में उभय पक्षकारों को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिये गये थे। सार्वजनिक आपति का सूचना पत्र अखबार में प्रकाशित होने के बाद भी कोई आपति प्राप्त न होने की अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकृत आदेश पारित करने में कोई विधिक भूल नहीं की गई है। यदि अपीलांटस पंजीबद्व वसीयत से व्यथित हैं तो उन्हें सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोई कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिये। अतः ऐसी स्थिति में अपील अपीलांटस अस्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरुप, अपील अपीलांट खारिज की जाती है। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 31–3–2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.3.17

(करतारसिंह पूनियाँ)

अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)

श्रीगंगानगर।

Scanned by CamScanner